रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 1972/वैशाख 8, 1894
No. 93] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1972/VAISAKHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th April 1972

No. U-23018/1/72-WB.—The Government of India have decided to constitute a Committee to review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965. The composition and terms of reference of the Committee will be as follows:—

I. *Composition*

Chairman

Dr. B. K. Madan.

Members

1. Shri N. S. Bhat.
2. Shri Harish Mahindra.
3. Shri R. P. Bilimoria.

4. Shri G. Ramanujam.
5. Shri Satish Loomba.
6. Shri Mahesh Desai.
7. Dr. S. D. Punekar.

A Member Secretary will be appointed by Government.

II. *Terms of reference*

To review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965, and to suggest suitable modifications to the scheme outlined therein and, in particular, to make recommendations on the following issues:—

(i) Whether establishments (other than factories) employing less than 20 workers, may be covered by the Act and if so, upto what limit of employment? Should there be a separate formula for payment of bonus in these small establishments?

(ii) Is there a case for raising the minimum bonus (4 per cent) and if so, to what level?

(iii) Whether the present upper limit on payment of bonus and the system of 'set-on' and 'set-off' require any alteration and if so, on what lines?

(iv) Whether the entire bonus payment should be related in some way to production/productivity in the undertaking?

(v) Whether the present minimum bonus of 4 per cent may continue but a provision be made for its being supplemented through suitable schemes of production/productivity?

(vi) To consider and make recommendations on any connected/ancillary matters?

The Committee shall also make a careful assessment of the likely impact of its recommendations on the national economy before finalising them.

2. The Committee will be known as the BONUS REVIEW COMMITTEE and its headquarters will be located at Bombay. Correspondence intended for the Committee will be addressed for the present to the Chairman, Bonus Review Committee C/o the Department of Industries & Labour, Government of Maharashtra, Sachivalaya, Bombay.

ORDER

(i) All State Governments and Union Territories.
(ii) All Ministries of the Government of India and Planning Commission.
(iii) All India Organisation of Employers and Workers.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

N. P. DUBE, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1972

संख्या यू०-23018/1/72-डब्ल्यू० बी० :—बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के परिचालन की पुनरीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

1. गठन

अध्यक्ष

डा० बी० के० मदान

सदस्य

1. श्री एन०एस० भट
2. श्री हरिश महिन्द्र
3. श्री आर० पी० बिलिमोरिया
4. श्री जी० रामानुजम
5. श्री सतीश लूम्बा
6. श्री महेश देसाई
7. डा० एस० डी० पुनेकर

सरकार, एक सदस्य सचिव नियुक्त करेगी ।

II. **विचारार्थ विषय**

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के परिचालन की पुनरीक्षा करना और उसमें दी गई योजना की रूप रेखा के लिए उपयुक्त तरमीमों के बारे में सुझाव देना, और विशेष रूप से निम्नलिखित वाद-विषयों के संम्बन्ध में सिफारिशें करना:—

(i) क्या ऐसा प्रतिष्ठान (कारखानों को छोड़कर अन्य), जिनमें 20 से कम कर्मकार काम करते हैं, इस अधिनियम की परिधि में लाए जाएं और यदि हां, तो नियोजित व्यक्तियों की किस संख्या सीमा तक? क्या इन छोटे प्रतिष्ठानों में बोनस के भुगतान के लिए अलग सूत्र होना चाहिए ।

(ii) क्या न्यूनतम बोनस (4 प्रतिशत) को बढ़ाने का कोई औचित्य है और यदि है तो किस स्तर तक ?

(iii) क्या बोनस भुगतान की वर्तमान उच्चतम सीमा और "सेट-ग्रान" और "सेट-ग्राफ" की प्रणाली में कोई परिवर्तन अपेक्षित है और यदि हां, तो किस परिपाटी पर ?

(iv) क्या सम्पूर्ण बोनस भुगतान का सम्बन्ध किसी प्रकार से उपक्रम में उत्पादन /उत्पादिता से सम्बन्धित होना चाहिए ?

(v) क्या वर्तमान 4% का न्यूनतम बोनस देना जारी रहे परन्तु उचित उत्पादन/उत्पादिता की योजनाओं द्वारा इसको अनुपूरक बनाने हेतु व्यवस्था की जाए ?

(vi) किसी सम्बन्धित/अनुषंगी मामलों पर विचार करना और सिफारिश करना ।

समिति, अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव का सचेत मूल्यांकन भी करेगी ।

3. समिति बोनस पुनरीक्षा समिति के नाम से जानी जायेगी और इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित होगा । समिति के लिए अभीष्ट पत्र-व्यवहार, फिलहाल, अध्यक्ष, बोनस पुनरीक्षा समिति मार्फत उद्योग और श्रम विभाग महाराष्ट्र सरकार, सचिवालय, बम्बई से किया जाएगा ।

आदेश

आदेश किया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

(i) सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्र ।

(ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालय, योजना आयोग ।

(iii) नियोजकों और श्रमिकों के अखिल भारत संगठन ।

यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प भारत के असाधारण राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एन० पी० दुबे, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972